अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
10/08/2021	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद 09/2009** **निरंजन एक्का बनाम् कविता सिन्हा व अन्य** **आदेश** पुनरीक्षण वाद एस०ए०आर० 09/2009 निरंजन एक्का पिता स्व० दुलार एक्का के द्वारा दायर किया गया था जिसमें अपर समाहर्त्ता, रांची द्वारा एस.ए. आर अपील 68R15/08-09 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। आवेदकों का कथन है कि उनके द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष भू–वापसी वाद 299/2005-06 दायर किया गया था जिसमें उनके पक्ष में प्लॉट संख्या 3 खाता नं 19 ग्राम बरियातु में अवस्थित कुल 20 कट्ठा भूमि वापसी को आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षियों के द्वारा अपर समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर किये गये जिनके द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि मसीह दास सांचा के नाम से टांड III के रूप में दर्ज है। उक्त रैयत द्वारा 19.09.1958 में भूमि की बिक्री तीन बहनें यथा प्रेम लता तिर्की, ग्रेस तिर्की एवं मोनोनित एक्का को निबंधित केवाला से की गई। आवेदक को ग्रेस तिर्की द्वारा गोद लिया गया था जिस कारण वे उनके उत्तराधिकारी है। उक्त भूमि को विपक्षी सामरी लाल एवं अशोक सिंह द्वारा एकारारनामा के आधार पर झूठा दावा करते हुए दखल कर लिया गया। अन्य विपक्षी कविता सिन्हा एवं अशोक कुमार गुप्ता द्वारा भूमि का क्रय 1994 तथा 2000 में किया गया। इन सभी क्रय में धारा 46 के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई। इस बिन्दु को गौर किये बगैर अपीलीय न्यायालय द्वारा विपक्षियों के दावे को मान्यता दी गई। अतः यह भूमि जो आदिवासी खाते की भूमि है उसे अपीलार्थियों को वापस किया जाना चाहिए। विपक्षियों के तरफ से कहा गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा 3 वाद यथा 68/69/70–2008–2009 की एक साथ सुनवाई करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया गया है। खतियानी रैयत द्वारा निबंधित कबूलियत के आधार पर 30.10.1928 को भूमि मसीहदास सांचा को गृह निर्माण हेतु अतिरिक्त लगान के साथ बन्दोबस्त की गई थी। प्रश्नगत भूमि के खतियान से भी यह स्पष्ट होता है कि लगान का निर्धारण छप्पर–बंदी भूमि के कारण अधिक रखा गया था। यह भूमि हमेंशा ही छप्पर–बंदी श्रेणी की रही है तथा 1958 में तीन बहनों के द्वारा निबंधित केवाला से किये गये बिक्री में भी छप्पर बंदी भूमि का ही जिक्र है। ग्रेस तिर्की के अविवाहित मृत्यु के पश्चात उनके	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

तीन भाई भूमि के दखल में आये जिनके द्वारा 1994 में कविता सिन्हा एवं अशोक कुमार गुप्ता को भूमि की बिक्री की गई। इसी प्रकार दुलार एक्का की विधवा श्रीमती मनोनीत एक्का द्वारा 1969 में भूमि की बिक्री सरोजनी कुजूर को की गई। आवेदक द्वारा ग्रेस तिर्की के दत्तक पुत्र होने का दावा किया जा रहा हैं जबकि आवेदक 1965 के एक बदलाव डीड के आधार पर भूमि के दखल में आये है। स्पष्टतः किसी भी हस्तांतरण के समय सक्षम पदाधिकारी से धारा 46 के अंतर्गत कोई अनुमति प्राप्त नही की गई है। आवेदक द्वारा दत्तक पुत्र होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है जिसका कोई साक्ष्य नही है।

उभय पक्षों की सुनवाई तथा उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण कई बार हुआ है किंतु किसी भी समय आदिवासी खाते के भूमि के हस्तांतरण के लिए आवश्यक अनुमति नही ली गई है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं की विस्तृत विवेचना करते हुए अंतिम आदेश पारित किया है। आवेदक के अपने दत्तक पुत्र होने के समर्थन में कोई वैधानिक कागजात किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही किये है। निम्न न्यायालय में आवेदकों के तरफ से प्रश्नगत भूमि उन्हें Gift Deed से प्राप्त होने का भी दावा किया गया था जिसे बाद में दत्तक पुत्र के नाम से बदल दिया गया। स्पष्टतः आवेदकों के पास प्रश्नगत भूमि पर दावा करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य नही है। विपक्षियों के द्वारा किया गया आदिवासी भूमि का क्रय भी विधिसम्पत नही है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नही है। क्योंकि आवेदक दत्तक विधान एवं Gift Deed के आधार पर भूमि पर दावा कर रहे है, अतः उन्हें सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त। 10/08/2021

आयुक्त। 10/08/2021

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.21 14:57:02 +05:30
Location: 192.168.1.40